भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार / **Government of India**

नंबर 12–1 / 2018–जीए

दिनांकः 17 जनवरी, 2020

<u>सीमित निविदा पूछताछ</u>

प्रेषिति,

मैसर्स अल्टीमेट कैब सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
50ए, राधे श्याम पार्क,
परवाना रोड,
नई दिल्ली – 51

मैसर्स अमन सर्विसेज
ई–34, लाजपत नगर–III,
नई दिल्ली– 24

मैसर्स कुलदीप टूरिस्ट टैक्सी सर्विस
दुकान नं. 24, एंड्यूस गंज मार्केट,
नई दिल्ली – 110049

मैसर्स लीला ट्रेवल्स
सी–145 (एलजीएफ), केबिन नं.3,
लाजपत नगर, निकट मदर डेयरी,
नई दिल्ली–24

मैसर्स साक्षी कैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
जी–79, स्थानीय शॉपिंग सेंटर एनबीसीसी टॉवर,
किदवई नगर पूर्वी, नई दिल्ली – 110023

मैसर्स चैन सन्स मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
ए– II / 12, केशोपुर औद्योगिक क्षेत्र,
एच–3 ब्लॉक के सामने, विकासपुरी, नई दिल्ली – 110018

विषयः दैनिक आवश्यकता के आधार पर वाहनों (इंडिका / डजायर / सियाज / इनोवा और समकक्ष ए.सी. वाहन) की की सेवाएं प्राप्त करने के लिए सीमित निविदा पूछताछ।

अधोहस्ताक्षरी को निविदा दस्तावेज (संलग्न) और सीपीपी पोर्टल (https:j /eprocure.gov.in) में उल्लिखित नियमों और शर्त पर नई दिल्ली के महानगर दूरसंचार भवन में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (www.trai.gov.in) के लिए दैनिक आवश्यकता के आधार पर वाहनों (इंडिका / डजायर / सियाज / इनोवा और समकक्ष ए.सी. वाहन) की सेवाएं प्राप्त करने के लिए सीमित निविदा (प्रति संलग्न) आमंत्रित करने का निदेश दिया गया है।

2. इस निविदा में भागीदारी केवल निमंत्रण द्वारा है और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के चुनिंदा आपूर्तिकर्ताओं तक ही सीमित है। अवांछित प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि,
भविष्य में ऐसे निविदाओं में भाग लेने की इच्छा रखने वाले आपूर्तिकर्ता इसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के आवेदन कर सकते हैं।

3. यदि आप भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को वाहन सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक हैं, तो इस बोली प्रक्रिया में भाग लें और अपने भरे हुए और सीलबंद बोली दस्तावेज को निविदा दस्तावे में संलग्न समय– सीमा के अनुरूप वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (जीए), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (ओल्ड मिंटो रोड), नई दिल्ली–110002 को प्रस्तुत करें।

धन्यवाद,

संलग्न : यथोपरि

(राकेश पुरोहित)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सामान्य प्रशासन)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (ओल्ड मिंटो रोड), नई दिल्ली–110002
फैक्सः +91-11-23213294, ईपीबीएक्स नम्बर : +91-11-23664145

नंबर 12–1/2018–जीए

दिनांकः 17 जनवरी, 2020

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
महानगर दूरसंचार भवन,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग (ओल्ड मिंटो रोड),
नई दिल्ली–110002

बोली दस्तावेज
17 जनवरी, 2020

इंडिका/ डिजायर/ सियाज/इनोवा और समकक्ष ए.सी. वाहनों का दैनिक आवश्यकता के आधार पर सेवाएं प्राप्त करने के लिए सीमित निविदा

(www.trai.gov.in https://eprocure.gov.in पर जाएं)

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

विषयवस्तु की तालिका

भाग	शीर्षक	:	पृष्ठ संख्या
भाग I	निविदा आमंत्रित करने हेतु नोटिस	:	3 से 4
भाग II	निविदा को प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश	:	5 से 9
भाग III	संविदा हेतु निबंधन और शर्तें	:	10 से 15

अनुबंध

I	निविदा को प्रस्तुत करने हेतु पत्र	:	16 से 17
II	बोली खोलने हेतु प्राधिकार पत्र का प्ररूप	:	18
III	प्रस्तुत करने हेतु दस्तावेज की जांच सूची	:	19
IV	दरों की अनुसूची हेतु प्ररूप	:	20

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

<u>भाग– **I**</u>

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
महानगर दूरसंचार भवन,
जाकिर हुसैन कॉलेज के निकट (पुराना मिंटो रोड)
नई दिल्ली–110002

<u>सीमित निविदा</u>

जारी करने वाला कार्यालय	:	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य प्रशासन महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू भवन, नई दिल्ली–110002
निविदा संख्या	:	12–1/2018–जीए
बोली दस्तावेज जारी किए जाने की तिथि	:	17 जनवरी, 2020
निविदा प्ररूप उपलब्ध हैं	:	वरिष्ठ अनुसांधान अधिकारी (जीए) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू भवन, नई दिल्ली–110002 वेबसाइट : http://www.trai.gov.in
प्राप्ति की देय तिथि	:	<u>दिनांक 28 जनवरी, 2020 तक, 1500 बजे तक</u>
तकनीकी बोली को खोले जाने की तिथि	:	<u>दिनांक 28 जनवरी, 2020 तक, 1500 बजे तक</u> (यदि निविदा को खोले जाने की तिथि को सरकार द्वारा अवकाश घोषित कर दिया जाता है तो निविदा को अगले कार्य दिवस में 1530 बजे खोला जाएगा)
वित्तीय बोली खोले जाने की तिथि	:	बाद में अधिसूचित किया जाएगा
जमा धरोहर राशि	:	10,000/– (दस हजार रुपये)
कुल अनुमानित लागत	:	लगभग 5.00 लाख रुपये (प्रति वर्ष)

दो बोली प्रणाली अर्थात् ''तकनीकी बोली'' और ''वित्तीय बोली'' के तहत सील की गई निविदाएं सीमित फर्मों से इस कार्यालय के उपयोग के लिए आवश्यकता के अनुसार दैनिक आवश्यकता के आधार पर इंडिका/ डिजायर/ सियाज/ इनोवा या समकक्ष एसी वाहनों की भर्ती के लिए आमंत्रित की जाती हैं। इस निविदा में भागीदारी केवल निमंत्रण द्वारा है और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के आपूर्तिकर्ताओं में चयन तक ही सीमित है। अवांछित प्रस्तावों को अस्वीकार किया जाएगा । तथापि, भविष्य में ऐसी निविदाओं में भाग लेने की इच्छा रखने वाले आपूर्तिकर्ता इसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के ध्यान में ला सकते हैं।

तकनीकी और वित्तीय बोलियों को बोलीदाता द्वारा अलग–अलग कवर में सील किया जाना चाहिए जिसके उपर विधिवत रूप से ''तकनीकी बोली–वाहनों की सेवाएं प्राप्त करना'' और ''वित्तीय बोली–वाहनों की सेवाएं प्राप्त करना'' अंकित होना चाहिए और इन दोनों सीलबंद कवरों को एक बड़े कवर में रखा जाना है जिसे सील किया जाना चाहिए और विधिवत रूप से ''वाहनों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए निविदा'' भी अंकित किया जाना चाहिए।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेज को सावधानीपूर्वक पढ़ने और उसमें अंतर्विष्ट विभिन्न प्रावधानों को उनके निहितार्थों के साथ समझने का परामर्श दिया जाता है। निविदा दस्तावेज किसी भी स्थिति में हस्तांतरणीय नहीं है।

बोलीदाताओं को बोली के साथ दिल्ली में देय ''भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण'' के पक्ष में किसी भी अनुसूचित बैंक में तैयार किए गए 'डिमांड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर' के रूप में 10,000 रुपये (केवल दस हजार रुपये) की बोली धरोहर राशि जमा करनी होगी।

इच्छुक पात्र बोलीदाता वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (जीए), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली– 110002 से बोली दस्तावेज की एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं अथवा इसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट (www.trai.gov.in) और सीपीपी पोर्टल (httpsr//eprocure.gov.in) की वेबसाइट से डॉऊनलोड किया जा सकता है।

(राकेश पुरोहित)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सामान्य प्रशासन)

नोट : यदि संभावित बोलीदाताओं को निविदा के निबंधन और शर्तों के बारे में कोई स्पष्टीकरण चाहिए हो तो बोलीदाता, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (जीए) से दूरभाष नंबर 23664686 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, सामान्य प्रशासन अनुभाग, सातवां तल, महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (पुराना मिंटो रोड), नई दिल्ली–110002 का दौरा कर सकते हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

भाग–II

निविदा जमा करने हेतु अनुदेश

1.प्रस्तावना

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा), जोकि भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, कार्यालयी उपयोग के लिए वाहनों को किराए पर लेने के लिए एक फर्म की सेवाएं प्राप्त करना चाहता है। निबंधन और शर्तों का ब्योरा भाग–III में संविदा को अभिशासित करने वाली निबंधन और शर्तों में दिया गया है।

2. प्रमाणिक पेशकश

बोलीदाता वास्तविक होना चाहिए, जिसका अभिप्राय कोई संगठन होना चाहिएः

(क) जिसका स्थायी खाता संख्या होनी चाहिए।

(ख) जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए।

(ग) गत पाँच वर्षों के दौरान किसी केन्द्रीय/ राज्य सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/ प्रख्यात निजी कंपनी/ बहुराष्ट्रीय कंपनी में दो वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए टैक्सी सेवा उपलब्ध कराने का अपेक्षित विगत अनुभव हो।

(घ) कम से कम 12 टैक्सियों का पंजीकरण फर्म अथवा ऐजन्सी अथवा स्वामी (स्वामित्वाधिकार वाली फर्म के मामले में) के नाम पर हो (प्रत्येक श्रेणी में तीन वाहन, जिनके लिए दरें आमंत्रित की गई हैं)।

(ङ) इस खंड में अन्यत्र निर्धारित किए गए अन्य अपेक्षाओं पर खरा उतरे।

3. निविदा दस्तावेज

निविदा दस्तावेज में इस दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 2 पर सूचीबद्ध सभी दस्तावेज अंतर्विष्ट हैं। इन्हें नीचे दी गई पद्धति (अनुलग्नक–**III**) से एक साथ प्रस्तुत करना होगा, ऐसा नहीं किए जाने पर निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा। अपूर्ण अथवा सशर्त निविदाएं भी अस्वीकार कर दी जाएंगी।

4.निविदा प्रस्तुत किया जाना– समय– सीमा / पद्धति

विधिवत रूप से पूर्ण किए गए निविदा दस्तावेजों को दो अलग–अलग भागों में जमा किया जाना चाहिए। प्रथम भाग को एक अलग लिफाफे में सील किया जाना चाहिए और उस लिफाफे के ऊपर ''वाहनों को किराए पर लेने के लिए तकनीकी बोली'' अंकित किया जाना चाहिए। इसमें वे सभी जानकारियां होनी चाहिए जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को ईएमडी (भाग– III के पैरा 7) और नीचे पैरा 4.1.1 में तथा खंड में अन्य स्थानों पर सूचीबद्ध अन्य दस्तावेजों के अलावा कार्य करने के लिए निविदाकर्ताओं की साख के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाएंगी। दूसरे भाग में ''वाहनों को किराए पर लेने के लिए वित्तीय बोली'' अंतर्विष्ट होगी और दूसरे लिफाफे पर इस प्रकार अंकित किया जाना चाहिए। दोनों लिफाफों को एक लिफाफे में सील किया जाना चाहिए और ''वाहनों को किराए पर लेने के लिए निविदा'' के रूप में विधिवत् रूप से अंकित किया जाना चाहिए तथा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (जीए), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को भेजा जाना चाहिए।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

4.1.1. तकनीकी बोली में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए–

- निविदा प्रस्तुत करने का पत्र।
- निविदा दस्तावेज जिसके सभी पृष्ठों पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए गए हों तथा आधिकारिक मुहर लगाई गई हो।
- धरोहर जमा राशि के लिए 10,000/– रुपये (केवल 10 हजार रुपये) का डिमांड ड्रॉफ्ट।
- पैनकार्ड की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित) ।
- जीएसटी के लिए पंजीकरण का प्रमाण (स्वप्रमाणित)।
- पिछले पांच वर्षों के भीतर किसी भी केन्द्र/ राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ प्रतिष्ठित निजी कंपनी/ बहुराष्ट्रीय कंपनी में न्यूनतम दो वर्षों के लिए टैक्सी सेवा प्रदान करने के अनुभव को दर्शाने वाले दस्तावेज।
- फर्म के स्वामित्व वाले 12 वाहनों के स्वप्रमाणित पंजीकरण प्रमाणपत्रों की प्रति (प्रत्येक श्रेणी में 3 वाहन जिनके लिए दरें आमंत्रित की गई हैं)।
- इस आशय का स्वप्रमाणित पत्र कि निविदाकर्ता को केन्द्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है अथवा खराब प्रदर्शन के कारण इसके अनुबंधों को समाप्त नहीं किया गया है।

4.1.2 अनुबंध– **IV** में दी गई दरों की अनुसूची (एसओआर), जो निविदाकर्ता द्वारा विधिवत रूप से भरी गई और हस्ताक्षरित होगी, 'वित्तीय बोली' में प्रस्तुत की जाएगी।

4.2 ऊपर पैरा में वर्णित निविदा दस्तावेज, दिनांक 28 जनवरी, 2020 को 1500 बजे तक निर्धारित पते पर पहुंचना जाना चाहिए। दिनांक 28 जनवरी, 2020 को 1500 बजे के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.3 सील की गई निविदाएं केवल व्यक्तिगत रूप से जमा की जाएंगी। डाक द्वारा/ पावती के साथ अथवा टेलीग्राम/ फैक्स द्वारा भेजी गई निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.4 निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

4.5 सभी दरों को केवल उचित प्रारूप में उद्धृत किया जाएगा अर्थात् एसओआर (अनुबंध– **IV**) और प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता या उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

4.6 खंड– III ''अनुबंध को अभिशासित करने वाली निबंधन और शर्तों'' में वर्णित कार्य के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद दरों की अनुसूची को सावधानीपूर्वक भरा जाना चाहिए। अनुबंध की दरों अथवा निबंधन और शर्तों में परिवर्तन या भिन्नता के संबंध में किसी भी अनुरोध पर इस आधार पर विचार नहीं किया जाएगा कि निविदाकर्ता ने इस निविदा दस्तावेज द्वारा परिकल्पित कार्य को नहीं समझा था। दरों की अनुसूची में किसी भी उपरिलेखन से बचना चाहिए। त्रुटि होने की स्थिति में त्रुटि स्पष्ट रूप से काटी जानी चाहिए और किए गए सुधार पर निविदाकर्ता या उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

4.7 निविदाकर्ता को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दरों का विश्लेषण करने को कहे जाने पर उसे दरों का विश्लेषण प्रस्तुत करना होगा।

4.8 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास निम्नवत अधिकार सुरक्षित हैं:–

- बिना कोई भी कारण बताए किसी भी या सभी तकनीकी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करना।

- बिना किसी भी कारण बताए सबसे कम होने के बावजूद किसी भी अथवा सभी वित्तीय बोलियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना।
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के समग्र हित में अनुबंध को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से आवश्यक माने जाने पर किसी भी स्तर पर निविदा शर्तों में ढील दें ।
- केंद्र/ राज्य सरकारों/ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा काली सूची में डाले गए निविदाकर्ताओं को अयोग्य घोषित कर दें या जिनके ठेके खराब प्रदर्शन के कारण समाप्त कर दिए गए हैं ।
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास निविदा के निबंधन और शर्तों को फिर से निविदा या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है। इसमें सबसे कम निविदा वाले के निविदाकर्ता अर्थात् एल1 के साथ दरों पर बातचीत करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

4.9 यदि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दरों में कमी के लिए बातचीत करता है तो निविदाकर्ता अपनी उद्धृत दरों में वृद्धि नहीं करेगा, ऐसी बातचीत मूल प्रस्ताव को रद्द करने या वापस लेने के लिए राशि नहीं होगी और उद्धृत दरें निविदाकर्ता पर बाध्यकारी होंगी।

4.10 वास्तव में किए जाने वाले कार्य की मदों में किसी भिन्नता, अधिशेष/ अथवा चूक, निविदा में निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दरों के संबंध में किसी भी विवाद का आधार नहीं बनेगी। निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दर, कार्य की मात्रा की अनपेक्षतः लागू होंगी।

4.11 यदि एक से अधिक या अनुचित दर की निविदा की जाती है, तो निविदा को सरसरी तौर पर अस्वीकार किया जा सकता है और इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.12 निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ और इसके साथ जुड़े प्रत्येक सहायक दस्तावेज पर इच्छुक निविदाकर्ता अथवा उसकी ओर से ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जैसा कि कानूनी रूप से और उसकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत है तथा उस पर आधिकारिक मुहर लगाई जाए।

4.13 निविदाएं जिनमें कुछ मिटाया गया हो, चूक या परिवर्तन किया गया हो, अस्वीकार कर दी जाएंगी। यदि कोई सुधार किया जाना आवश्यक हो जाए तो, तो इन्हें स्याही से किया जाना चाहिए और ऐसे सभी सुधारों को निविदाकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

5. बोलियों को खोला जाना :

5.1 बोलीदाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियां, भाग लेने के लिए चुनते हैं, की उपस्थिति में तकनीकी बोलियां खोली जाएंगी जो नियत तिथि पर 1530 बजे । बोली खुलने के समय उपस्थित बोलीदाता के प्रतिनिधि उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करेंगे। इस आशय का प्राधिकार पत्र बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, इससे पहले कि उन्हें बोली खोलने में भाग लेने की अनुमति दी जाए (अनुबंध– **II** में एक प्रारूप दिया जाता है)।

5.2 किसी भी बोलीदाता के लिए केवल एक प्रतिनिधि को अधिकृत किया जाएगा और बोली खोलने में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

5.3 बोलीदाता के नाम, प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, संशोधन, बोली निकासी और इस कार्यालय के रूप में इस तरह के अन्य विवरण, अपने विवेक पर, उचित विचार कर सकते हैंय उद्घाटन के समय घोषणा की जाएगी।

5.4 बोलियां खोलने के लिए निर्धारित तिथि पर यदि बाद में अवकाश घोषित किया जाता है, तो अनुसूची हेतु संशोधित तिथि अधिसूचित की जाएगी। तथापि, इस प्रकार की अधिसूचना के न होने पर, बोलियां अगले कार्य दिवस, उसी समय और स्थान पर खोली जाएंगी जो यथावत बनी रहेंगी।

6. स्थानीय परिस्थितियों का अध्ययन

निविदाकर्ता को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वह कार्य स्थल पर जाएं और सभी स्थानीय परिस्थितियों, कार्य तक पहुंच के साधनों, कार्य के स्वरूप आदि से परिचित हो सकें।

7. प्रस्ताव की वैधता

निविदाकर्ता को निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के लिए प्रस्ताव को खुला रखना अपेक्षित होगा। यह समझा जाएगा कि निविदा दस्तावेज, निविदाकर्ता को विक्रय/ जारी किए गए हैं और निविदाकर्ता को इस शर्त के साथ निविदा जमा करने की अनुमति है कि वह अपनी निविदा जमा करने के बाद, अपने प्रस्ताव को रद्द नहीं करेगा अथवा निबंधन और शर्तों को को संशोधित नहीं करेगा जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को स्वीकार्य नहीं है।

8. निविदा की स्वीकृति

8.1 निविदा दस्तावेजों और निविदा दरों को स्वीकार करने का प्राधिकार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी के पास होगा जो स्वयं को सबसे कम निविदा अथवा किसी अन्य निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करता है और न ही वह इस मामले में लिए गए अपने निर्णय के लिए कारण बताने हेतु बाध्य है।

8.2 निविदा दरों की स्वीकृति के संबंध में, जितनी जल्दी हो सके एक पत्र के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी।

8.3 निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सभी निविदा दस्तावेज भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की संपत्ति बन जाएंगे और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की निविदाकर्ताओं को इसे वापस करने की कोई बाध्यता नहीं होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

8.4 निविदा के संबंध में प्रचार करना कड़ाई से निषिद्ध है और निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा जिसमें वह किसी भी प्रकार से किसी भी बात को छिपाता है उसे अस्वीकृति कर दिया जाएगा।

8.5 यदि निविदाकर्ता जानबूझकर गलत जानकारी देता है या अपनी निविदा में कोई जानकारी/ तथ्य छिपाता है, जो धोखाधड़ी से उसके निविदा को स्वीकार करने के लिए अनुकूल होगी, तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास बिना किसी वित्तीय देयता के, निष्पादन के किसी भी चरण में, ऐसी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9. समझौते का निष्पादन

9.1 निविदाकर्ता जिसकी निविदा को स्वीकार किया जाता है, उसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होना आवश्यक होगा अथवा यदि निविदाकर्ता कोई फर्म, कंपनी या निगम है, तो एक विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय से सम्प्रेषण जारी किए जाने की तिथि से पंद्रह (15) दिनों के भीतर उपस्थित होगा और समझौते का निष्पादन करेगा और सम्प्रेषण में उल्लिखित तिथि से कार्य प्रारंभ करेगा । ऐसा न करने पर निविदा की स्वीकृति के माध्यम से संपन्न अनुबंध का उल्लंघन होगा।

9.2 निविदाकर्ता, निविदा दस्तावेजों की सामग्री को निजी और गोपनीय मानेगा।

10. पत्राचार के लिए डाक पता

प्रत्येक निविदाकर्ता निविदा में अपना डाक पते को पूर्ण और स्पष्टतया से रूप से उल्लेख करेगा। निविदाकर्ता को उसके उक्त पते पर डाक द्वारा भेजे गए किसी भी पत्राचार को निविदाकर्ता के पास समय से पहुंचा हुआ माना जाएगा।

ह0/–
(राकेश पुरोहित)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सामान्य प्रशासन)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

<u>भाग– **III**</u>

संविदा को अभिशासित करने वाली निबंधन और शर्तें

1. प्रस्तावना

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है। यह भारत में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के विनियामक के रूप में कार्य कर रहा है।

2. निबंधन और शर्तें

2.1 दैनिक आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध कराए गए वातानूकूलित वाहन (इंडिका/ डिजायर/ सियाज/ इनोवा अथवा इसके समकक्ष) इस सेवा शुरू होने की तिथि से 2 साल से अधिक वर्ष पुराने नहीं होने चाहिए। यदि चयनित एजेंसी समान दरों पर उच्च मूल्य और वर्ग का वाहन उपलब्ध कराना चाहती है, तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, को अन्य निबंधन और शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

2.2 तैनात किए गए वाहन के अंदरूनी और बाहरी भाग ठीक से साफ होंगे। उपयुक्त एयर फ्रेशनर और यदि आवश्यक हो तो वाहन के भीतर एयर प्यूरिफायर स्थापित किए जाएंगे। वाहन की स्थिति के बारे में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का फैसला अंतिम होगा।

2.3 वाहन एक वाणिज्यिक वाहन के रूप से पंजीकृत वाहन होना चाहिए और एनसीआर (नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद आदि सहित) के क्षेत्र में चलाने के लिए उसके पास वैध वाणिज्यिक परमिट होना चाहिए। सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि तैनात किए गए वाहन, समय पर और ईंधन के पूर्ण टैंक के साथ निर्धारित स्थान पर पहुंच जाएं।

2.4 नियोजित किए गए ड्राइवरों के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उसे अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए, वह यथोचित रूप से शिक्षित होना चाहिए, यातायात नियमों/ विनियमों और शहर की सड़कों/ मार्गों के साथ–साथ सुरक्षा निर्देशों के साथ परिचित होना चाहिए। सेवा प्रदाता द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए पुलिस सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा।

2.5 ड्राइवरों को ड्यूटी करते समय सभी शिष्टाचार और नयाचारों का पालन करना चाहिए। ड्राइवरों को साफ– सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, उचित वर्दी पहननी चाहिए और उसके पास काम करने की स्थिति में एक मोबाइल फोन होना चाहिए, जिसके लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई अलग भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी भी स्थिति में चालक नशे की अवस्था में ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं करेगा या ड्यूटी पर रहते हुए मदिरा का सेवन करेगा।

2.6 सभी वाहन एक आपातकालीन चिकित्सा किट और एक आग बुझाने के यंत्र से सुसज्जित होंगे।

2.7 परिवहन ऑपरेटर और चालक, विभाग के साथ–साथ वाहन के साथ संबद्ध अधिकारियों के निदेशों को पूरा करने के लिए बाध्य होंगे।

2.8 एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए वाहन में वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होगा, तृतीय पक्ष तथा वाहन के यात्रियों को कवर करने के लिए पूर्ण व्यापक बीमा, फिटनेस प्रमाणपत्र, पीयूसी, परमिट सहित कोई अन्य संगत परमिट/ लाइसेंस आदि होंगे जो आरटीओ

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

तथा किसी अन्य सांविधिक निकाय द्वारा वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित होंगे और उन्हें संविधा की अवधि के दौरान अंतिम तिथि समाप्त होने से पूर्व पुनः वैध कराया जाना चाहिए।

2.9 प्रत्येक वाहन के लिए पृथक ड्यूटी पर्ची का रखरखाव किया जाएगा, जिसे उपयोग करने वाले विभाग द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। इससे पहले की कार को ड्यूटी के लिए आवंटित किया जाए, ड्राइवर द्वारा ओडोमीटर की रीडिंग को नोट किया जाएगा और कार्यालय के घंटों के दौरान प्रत्येक ड्यूटी के लिए आरंभ किए गए समय/ समाप्ति के समय, स्थान जिसका दौरा किया गया उनके लिए पृथक प्रविष्टियां की जाएंगी और ड्यूटी के पश्चात् ड्राइवर पुनः ओडोमीटर की रीडिंग नोट करेगा और इसे उपयोग करने वाले विभाग के प्रशासन द्वारा तैनात वाहन कि उपयोगकर्ता द्वारा जांच की जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे प्रत्येक वाहन की ड्यूटी पर्ची के आधार पर सेवा प्रदाता, बिल तैयार करेंगे और उसके साथ प्रत्येक वाहन के चलने का समेकित विवरण और ड्यूटी पर्ची की मूल प्रतियां संलग्न करेंगे।

2.10 सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुपुर्द किए वाहन के सभी अनुरक्षणकार्य ड्यूटी के घंटो के पश्चात् किए जाएंगे। वाहन की किसी भी प्रकार के खराबी और उसकी मरम्मत के मामले में, सेवा प्रदाता अपनी स्वयं की लागत पर समान वर्ग अथवा उच्च वर्ग का वाहन, जिसके लिए करार किय गया है, उपलब्ध करवाकर वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। ऐसा नहीं करने पर दंड अथवा संविदा समाप्त किए जाने की संभावना होगी। दुर्घटना अथवा चालान होने पर, इससे पैदा होने वाले सभी दावों का निपटान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।

2.11 बिलिंग उद्देश्य के लिए दैनिक आधार पर किराए पर लिए गए वाहनों के संबंध में दूरी की गणना ड्यूटी शुरू होने के स्थान से लेकर ड्यूटी समाप्त होने की जगह तक की जाएगी। यदि वाहन को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय को रिपोर्ट करना हो तो इस प्रयोजनार्थ कवर की गई वास्तविक दूरी अथवा दस किलोमीटर के अध्यधीन (आने और जाने की यात्रा के लिए) इनमें से जो भी कम हो, वाहन द्वारा चली दूरी के अलावा, पार्किंग किलोमीटर गैराज से ड्यूटी शुरू होने के स्थान और ड्यूटी के अंत के स्थान पर दिया जाएगा, तथापि, यदि ड्यूटी का शुरुआती बिंदु एनसीआर या दिल्ली की परिधि में किसी भी स्थान पर 10 किमी के दायरे से परे हो तो पार्किंग किलोमीटर गैराज से रिपोर्टिंग और इसके विपरीत के स्थान पर वास्तविक यात्रा होगी। पार्किंग किलोमीटर की गिनती के लिए निविदा दस्तावेज में उल्लिखित गैराज के पते को ध्यान में रखा जाएगा।

एकतरफा यात्रा के मामले में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय में वाहन के रिपोर्ट करने हेतु 30 मिनट का समय दिया जाएगा। अन्य स्थानों के लिए यह ड्यूटी के प्रारंभ होने के स्थान पर रिपोर्ट करने और यात्रा करने हेतु लिया गया वास्तविक समय होगा और ड्यूटी के अंत के स्थान से अधिसूचित गैरेज तक यात्रा को माना जाएगा।

4. सेवा में कमी हेतु प्रभार/ सेवा प्रदाता दायित्व

4.1 सेवा प्रदाता भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई अनुसूची के अनुसार निर्धारित किए गए वाहन और चालक की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करेगा। निर्धारित समय और निर्धारित स्थान पर 30 मिनट से कम समय पर वाहन की सूचना देने में विलंब होने की स्थिति में, 500 रुपये का जुर्माना और 30 मिनट से अधिक के विलम्ब के लिए, प्रत्येक वाहन के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना प्रभारित किया जाएगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

4.2 आगमन में 30 मिनट से अधिक का विलम्ब होने की स्थिति में, उपयोगकर्ता को अन्य टैक्सी सेवाओं को किराए पर लेने का अधिकार होगा (जो समान किराए पर ली गई कार श्रेणी का नहीं हो सकता है)। किराया शुल्क सेवा प्रदाता से लिया जाएगा।
4.3 यदि ठेकेदार विनिर्धारित तिथि तक वाहन उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होता है तो एक दिन/ आधे दिन के समतुल्य राशि (जैसा भी मामला हो सकता है), तो प्रत्येक वाहन की गैर–रिपोर्टिंग के लिए समेकित मासिक बिल राशि से किराए पर लेने के शुल्क की कटौति कर ली जाएगी।

5. भुगतान की शर्तें

5.1 किराए पर लेने के शुल्क में ईंधन लागत, स्नेहक, स्पेयर पार्ट्स, अनुरक्षण, ड्राइवरों/ कर्मचारियों का वेतन, बीमा/ सड़क/ राज्य करों/ परमिट/ प्रमाण पत्र आदि शामिल होंगे।

5.2 सेवा प्रदाता, सत्यापन के पश्चात्, भुगतान जारी करने के लिए मासिक आधार पर बिल प्रस्तुत करेगा।

5.3 टीडीएस और अन्य सभी लागू करों को लागू नियमों के अनुरूप कटौती की जाएगी।

5.4 यात्रा के दौरान भुगतान किए गए टोल टैक्स, चुंगी, पार्किंग शुल्क और अन्य वैधानिक उद्ग्रहणों, यदि कोई हों तो, को वास्तविक रूप से बिल किया जाएगा।

6. अनुबंध की अवधि

6.1 प्रारंभिक चरण में, करार किए जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध दिया जाएगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के विवेकाधिकार पर पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निबंधन और शर्तों और दरों पर एक या अधिक वर्ष की अवधि के लिए इसे बढ़ाने का अधिकार होगा।

6.2 तथापि, फर्म की ओर से यह अनिवार्य होगा कि वह अनुबंधित अवधि के लिए अनुबंध अवधि से परे भी कम से कम 3 (तीन) माह अथवा नए अनुबंध को अंतिम रूप दिए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, समझौते की अंतिम तारीख को प्रचलित दरों पर काम करना जारी रखे।

7. धरोहर राशि

7.1 निविदाकर्ता को पूर्ण निविदा दस्तावेजों के साथ धरोहर राशि के रूप में 10,000 रुपये (केवल दस हजार रुपये) की राशि जमा करनी होगी। धरोहर राशि, निविदाकर्ता द्वारा एक वचन स्वरूप होगी की निविदाकर्ता अपने प्रस्ताव से पीछे नहीं हटेगा या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को अस्वीकार्य तरीके से अपनी निबंधन और शर्तों को संशोधित करेगा। यदि निविदाकर्ता उक्त शर्त का पालन करने अथवा उनका अनुपालन करने में विफल रहता है, तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा संपूर्ण राशि जब्त करने की जाएगी।

7.2 ऊपर संदर्भित पैरा 7.1 के तहत जमा राशि का भुगतान, नई दिल्ली में देय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पक्ष में पे– आर्डर अथवा डिमांड ड्रॉ**फ**ट द्वारा की जाएगी और जारी होने की तिथि के पश्चात् कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए मान्य होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

8. सुरक्षा जमा राशि

8.1 सफल निविदाकर्ता जिसकी दरें अंतिम रूप से स्वीकार की जाती हैं, सुरक्षा जमा राशि के रूप में 50,000 रुपये की राशि (केवल पचास हजार रुपये) जमा करेगा। निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई ईएमडी राशि सफल बोलीदाता सहित समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद वापस की जाएगी। सुरक्षा जमा राशि का भुगतान, दिल्ली में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पक्ष में किए गए पे– आर्डर अथवा डिमांड ड्रॉ**फ**ट द्वारा किया जाएगा। यदि निविदाकर्ता उक्त शर्त का पालन करने या उसका अनुपालन करने में विफल रहता है, तो इस भाग की धारा 6 के धरोहर जमा धन की राशि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। इस कार्यालय द्वारा जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा और अनुबंध की अवधि पूरी होने के बाद ही जमा राशि वापस की जाएगी।

8.2 यदि सफल निविदाकर्ता, सुरक्षा जमा राशि हेतु अतिरिक्त राशि जमा करने हेतु इंकार करता है अथवा विफल रहता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और अनुबंध रद्द करने कर दिया जाएगा।

9. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास बिना किसी कारण/ नोटिस के किसी भी समय समझौते को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

10. बोलियों के मूल्यांकन के लिए मानदंड :

10.1 तकनीकी बोलीः– बोलीदाताओं की तकनीकी बोलियां पहले चरण में खोली जाएंगी और निम्नलिखित मानदंडों पर उनका मूल्यांकन किया जाएगाः–

- निविदा प्रस्तुत करने का पत्र।
- आधिकारिक मुहर के साथ सभी पृष्ठों पर विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज।
- आयकर पैनकार्ड की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित)
- जीएसटी पंजीकरण की प्रति (स्व सत्यापित)
- दो वर्ष का अनुभव प्रमाणपत्र जिसमें पिछले पांच वर्षों के दौरान पिछले/ चल रहे अनुबंधों को दर्शाते हुए दस्तावेजों की प्रतियों संलग्न हों।
- बैंक ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर के रूप में 10,000/– (केवल दस हजार रुपये) का धरोहर राशि जमा करें।
- फर्म के स्वामित्व वाले कम से कम 12 वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्रों की छायाप्रति (प्रत्येक श्रेणी में 3 वाहन जिनके लिए दरें आमंत्रित की गई हैं)।
- इस आशय का स्व–प्रमाण पत्र कि निविदाकर्ता को केन्द्रीय/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है या खराब प्रदर्शन के कारण इसके अनुबंधों को समाप्त नहीं किया गया है।

10.2 वित्तीय बोलीः – वित्तीय बोलियां केवल उन फर्मों के संबंध में खोली जाएंगी, जो ऊपर उल्लिखित तकनीकी बोली संबंधी मानदंडों को पूरा करते हैं। इंडिका/ डिजायर/ सियाज/ इनोवा या समकक्ष वातानुकूलित वाहन के लिए वित्तीय बोलियां का मूल्यांकन नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार और बोलीदाताओं द्वारा दरों की अनुसूची (एसओआर– अनुलग्नक– **IV**) में उद्धृत दरों के अनुसार किया जाएगाः–

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

तालिका– क						
क्रम संख्या	ब्योरा	दरें दैनिक दरों (180 किलोमीटर / 10 घंटे)	आधे दिन की दर (140 किलोमीटर / 5 घंटे)	प्रत्येक श्रेणी में अनुमानित कार्य	परिकलन हेतु सूत्र	दरें
		(क)	(ख)	(ग)		
i.	इंडिका (वातानुकूलित) अथवा समकक्ष			30 दिन	= (क+ख)x ग	
ii.	डिजायर (वातानुकूलित) अथवा समकक्ष			30 दिन	= (क+ख)x ग	
iii.	सियाज़ (वातानुकूलित) अथवा समकक्ष			50 दिन	= (क+ख)x ग	
iv.	इनोवा (वातानुकूलित) अथवा समकक्ष			50 दिन	= (क+ख)x ग	
	कुल (i+ii+iii+iv)					

तालिका– ख						
क्रम संख्या	ब्योरा	प्रति किलोमीटर के लिए दर	प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए दर	प्रत्येक श्रेणी में अनुमानित कार्य	परिकलन हेतु सूत्र	दरें
		(क)	(ख)	(ग)		
i.	इंडिका (वातानुकूलित) अथवा समकक्ष			30 दिन	= (क+ख)x ग	
ii.	डिज़ायर (वातानुकूलित) अथवा समकक्ष			30 दिन	= (क+ख)x ग	
iii.	सियाज़ (वातानुकूलित) अथवा समकक्ष			50 दिन	= (क+ख)x ग	
iv.	इनोवा (वातानुकूलित) अथवा समकक्ष			50 दिन	= (क+ख)x ग	
V.	कुल (i+ii+iii+iv)					

एल1 का निर्णय उपर्युक्त तालिका–क और ख के क्रम संख्या **V** के आधार पर किया जाएगा । भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की मंशा एक फर्म को पूरा ठेका देना है। तथापि, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अनुबंध को विभाजित करने और दो अलग–अलग बोलीदाताओं को अलग–अलग अनुबंध देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

11. अप्रत्याशित घटना

11.1 यदि करार को जारी रखने के दौरान किसी भी समय, फर्म द्वारा युद्ध या झगड़े के कारण, सार्वजनिक शत्रु के कार्य, नागरिक गड़बड़ी, तोड़फोड़, सरकार के कार्य अथवा सांविधिक प्राधिकरण से निर्देश के कारण, विस्फोट, महामारी, क्वारंटीन प्रतिबंध, आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदा, या किसी भी ईश्वरीय कृत्य, ;इसके बाद घटना के रूप में संदर्भित) के कारण समझौते में निर्दिष्ट किसी भी दायित्व के पूरे या आंशिक रूप से रोका, प्रतिबंधित, विलंबित या हस्तक्षेप किया जाता है, बशर्ते, ,जेंसी द्वारा इस तरह की किसी भी घटना के होने की सूचना लिखित रूप में, सात कैलेंडर दिनों के भीतर भादूविप्रा को दी जाती है,तो उस फर्म को उसके दायित्व को पूरा करने से छूट दी जा सकती है। बशर्ते यह कि करार के तहत दायित्वों को फर्म द्वारा इस तरह की घटना के समाप्त होने या अस्तित्व में रहने के बाद,जितना व्यवहार्य हो तब से,फिर से शुरू किया जा,गा। इन दायित्वों को फिर से शुरू किया जा सकता है (और जिस समय सीमा के भीतर दायित्वों को फिर से शुरू किया जा सकता है) या नहीं, इस संबंध में भादूविप्रा का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।

11.2 तथापि, ऊपर उल्लिखित अप्रत्याशित घटनाओं के कारण किसी भी तरह से समझौते की अवधि को बढ़ाया नहीं जाएगा।

12. करार को अभिशासित करने वाली विधि

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और फर्म के बीच किए गए करार वर्तमान में लागू भारत के कानूनों द्वारा अभिशासित होंगे।

13. करार को नियंत्रित करने वाले कानून

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण तथा फर्म के बीच हस्ताक्षरित यह करार भारत में वर्तमान में लागू कानूनों द्वारा अभिशासित होगा।

14. न्यायालयों का न्यायाधिकार

उस स्थान के न्यायालय जहां से इसकरार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे को इस करार से उत्पन्न होने वाले या उसके संबंध में किसी भी विवाद को तय करने का न्यायाधिकार होगा।

15. मध्यस्थता

इस समझौते के अंतर्गत आने वाले उक्त समझौते के किसी भी नियम और शर्तों के कार्यान्वयन के किसी भी तरीके से संबंधित या उक्त समझौते से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न या उससे जुड़े या संबंधित किसी भी मामले में भादूविप्रा और फर्म के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में, इस मामले को सचिव, भादूविप्रा के पास भेजा जाएगा जो स्वयं एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है या भादूविप्रा के किसी अधिकारी को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नामित कर सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा अधिकारी इस प्रकार की संविदा से परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। फर्म भादूविप्रा के ऐसे अधिकारी की नियुक्ति पर कोई आपत्ति उठाने की हकदार नहीं होगी। मध्यस्थ द्वारा किया गया फैसला करार के दोनों पक्षकारों के

लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और यह माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार होगा। पक्षकार स्पष्ट रूप से इस बात से सहमत हैं कि मध्यस्थता की कार्यवाही नई दिल्ली में होगी। मध्यस्थता की भाषा केवल अंग्रेजी ही होगी।

7. सामान्य

इन निबंधन और शर्तों के किसी भी प्रावधान के अर्थ या आशय या व्याख्या के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण सलाहकार (ए) भादूविप्रा से मांगा जा सकता है, जिसका इस मामले में निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। यदि कोई अन्य मामला जो करार से संबधित हो पर इसमें सम्मिलित नहीं हो, उस पर भी सलाहकार (ए) द्वारा निर्णय लिया जाएगा और यह निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

ह0/–
(राकेश पुरोहित)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सामान्य प्रशासन)

पैरा 1 से 15 तथा उनके उप–पैरा में दी गई सभी निबंधनों तथा शर्तों तथा कार्य के क्षेत्राधिकार को ध्यान से पढ़कर, समझकर और स्वीकार कर लिया गया है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

अनुबंध– I

निविदा प्रस्तुत करने हेतु पत्र

प्रेषिति,

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सामान्य प्रशासन)
कार्यालय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण,
महानगर दूरसंचार विभाग,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
नई दिल्ली– 110002

विषयः एक वर्ष की अवधि के लिए आवश्यकता के आधार पर वाहनों को किराए पर लेने के लिए निविदा

महोदय,

उपर्युक्त उल्लिखित संविदा के लिए निविदा दस्तावेज में दी गई शर्तों के अध्यधीन, मैं/ हम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय के लिए दस्तावेजों के साथ एसओआर (अनुबंध– IV) में विनिर्दिष्ट दरों पर ठेकेदार के रूप में कार्य करने करने हेतु निविदा करते हैं। मैं/ हम एतदद्वारा यह अनुप्रमाणित करते हैं कि मैंने/ हमने जांच कर ली है और मैं/ हम संविदा दस्तावेज के उपबंधों से पूर्णतः अवगत हैं और मैं/ हम इस बात से संतुष्ट हैं कि वे सटीक हैं ओर उसमें दी गई निबंधन और शर्तों का पालन करने हेतु सहमत हैं।

2. निम्नवत प्रमाणपत्र/ दस्तावेज एतद्द्वारा संलग्न हैंः–

3. अनुभव प्रमाणपत्र जिसमें पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी केन्द्रीय/ राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ प्रख्यात निजी कंपनी/ बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कम से कम दो वर्षों की अवधि के लिए निविदा किए गए कार्य/ व्यापार का अनुभव।

2.2 आयकर पैन कार्ड की प्रति (स्व प्रमाणित)।

2.3 जीएसटी पंजीकरण की प्रति (स्व प्रमाणित)।

2.4 फर्म द्वारा स्वामित्व वाले 12 वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र की छायाप्रति (प्रत्येक श्रेणी में तीन वाहन जिनके लिए दरें आमंत्रित की गई हैं)।

2.5 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पक्ष में नई दिल्ली में देय बैंक/ शाखा –––––––––– में आहरित दिनांक ––––– का 10,000 रुपये (केवल दस हजार रुपये) की राशि का 'पे ऑर्डर/ 'डिमांड ड्राफ्ट' संख्या ––––––––।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

2.6 इस बाबत एक स्व प्रमाणित प्रमाणपत्र कि निविदाकर्ता को इसके ठेकों के लिए खराब निष्पादन किए जाने के कारण केन्द्रीय/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

2.8 पूर्ण रूप से भरी हुई तथा हस्ताक्षरित दरों की अनुसूची (एसओआर) पृथक सील किए गए लिफाफे में संलग्न है। मैं/ हम यह स्पष्ट रूपसे समझते हैं कि यदि मेरी/ हमारी पूर्व– अर्हता बोली को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया जाता है तो केवल उसी स्थिति में इसे किसी बाद की तिथि में खोला जाएगा।

मैं/ हम यह घोषणा करते हैं कि निविदा और संलग्न अनुबंध में की गई प्रविष्टियां सत्य हैं।

भवदीय,

निविदाकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर

नामः ————————————
मोबाइल नम्बर/ दूरभाष नम्बर————————————
पदनामः————————————
पताः————————————
————————————
————————————
————————————

****

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

अनुबंध– II

बोली खोले जाने की प्रक्रिया के दौरान उपस्थित होने के लिए प्राधिकार पत्र

विषयः वाहनों को किराए पर लेने के लिए निविदा को खोले जाने की प्रक्रिया में उपस्थित होने के लिए प्राधिकार पत्र

————————— (बोलीदाता) की ओर से उपयुक्त उल्लिखित निविदा को खोले जाने की प्रक्रिया के दौरान उपस्थित होने के लिए नीचे दी गई प्राथमिकता के क्रम में निम्नलिखित व्यक्तियों को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

नाम	नमूना हस्ताक्षर
—————————	—————————

बोलीदाताओं के हस्ताक्षर

अथवा

बोलीदाताओं की ओर से बोली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी

नोटः

1. बोली को खोले जाने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए केवल एक प्रतिनिधि को अनुमति प्रदान की जाएगी। वैकल्पिक प्रतिनिधि को केवल उस स्थिति में ही अनुमति प्रदान की जाएगी जब नियमित प्रतिनिधि प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएं।
2. यदि यथा उपयुक्त प्राधिकार प्राप्त नहीं होता है उस स्थिति में जहां बोलियां खोली जा रही हैं उस हॉल में प्रवेश दिए हेतु अनुमति दिए जाने से इंकार किया जा सकता है

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

अनुबंध– III

जांच सूची तथा क्रम जिसमें तकनीकी बोली हेतु दस्तावेजों को जमा किया जाना है

कृपया जांच कर लें कि निम्नलिखित सभी दस्तावजों को वाहनों को किराए पर लेने हेतु निविदा में भाग लेने के लिए उपलब्ध कराया गया है। दस्तावेजों को अवरोही क्रम में जमा किया जाए

क्रम संख्या	दस्तावेज	पृष्ठ संख्या
1.	निविदा जमा करने हेतु पत्र	
2.	निविदा दस्तावेज जिसके सभी पृष्ठों पर विधिवत् रूप से हस्ताक्षर किए गए हों तथा आधिकारिक मुहर लगाई गई हो	
3.	धरोहर जमा राशि के रूप में 10,000 रुपये (केवल दस हजार रुपये) का राशि का 'डिमांड ड्रॉफ्ट'	
4.	पैन कार्ड की प्रति (स्व प्रमाणित)	
5.	जीएसटी पंजीकरण की प्रति का प्रमाण (स्व प्रमाणित)	
6.	अनुभव प्रमाणपत्र जिसमें पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी केन्द्रीय/ राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ प्रख्यात निजी कंपनी/ बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कम से कम दो वर्षों की अवधि के लिए निविदा किए गए कार्य/ व्यापार का अनुभव।	
7.	इस बाबत एक स्व प्रमाणित प्रमाणपत्र कि निविदाकर्ता को इसके ठेकों के लिए खराब निष्पादन किए जाने के कारण केन्द्रीय/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।	
8.	बाली खोलने के लिए प्राधिकार पत्र (अनुबंध– **II** के अनुसार)	
9.	फर्म अथवा एजेन्सी अथवा स्वामित्वाधीन (स्वामित्वधारी फर्म के मामले में), स्वामित्व वाले 12 वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र की छायाप्रति (प्रत्येक श्रेणी में तीन वाहन जिनके लिए दरें आमंत्रित की गई हैं)।	
10.	कोई अन्य दस्तावेज (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
11.	दरों की अनुसूची (एसओआर) (एक अलग सीलबंद लिफाफे में अनुबंध– **IV** के अनुसार)	

बोलीदाताओं को सुनिश्चित करना चाहिए

क. यह की सभी पृष्ठों को प्राधिकृत व्यक्ति(यों) द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुहर लगाया गया है।
ख. यह की सभी पृष्ठों पर संख्या इंगित की गई है।
ग. यह की सभी दस्तावेज पठनीय हों (स्पष्टरूप से पठनीय)

*****

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

(पृथक लिफाफे में रखा जाए)

अनुबंध– IV

इंडिका/ डिज़ायर/ सियाज/ इनोवा अथवा समकक्ष वातानुकूलित डीजल वाहनों को किराए पर लेने के लिए उद्धृत किए जाने हेतु दरों की अनुसूची

क्रम संख्या	ब्योरा	दैनिक दर (80 किलोमीटर/ 10 घंटे)	आधे दिन के लिए दर (40 किलोमीटर/ 05 घंटे)	दर प्रति अतिरिक्त किलोमीटर	प्रति अतिरिक्त घंटे हेतु दर
i.	इंडिका (वातानुकूलित) अथवा समकक्ष				
ii.	डिज़ायर (वातानुकूलित) अथवा समकक्ष				
iii.	सियाज़ (वातानुकूलित) अथवा समकक्ष				
iv.	इनोवा (वातानुकूलित) अथवा समकक्ष				

जीएसटी (सहित/ अतिरिक्त)/ कोई अन्य कर, यदि कोई हों तोः–

i ....

ii ....

निविदाकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर

नामः ––––––––––––––

मोबाइल नम्बर/ दूरभाष नम्बरः –––––––––––––

पदनामः –––––––––––––

पताः –––––––––––––

–––––––––––––

–––––––––––––

–––––––––––––

****

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।